## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 32/2016**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1 रतनलाल पुत्र चिमनाराम | | 1 दीपाराम पुत्र चिमनाराम जाति घांची निवासी बिसलपुर तहसील बाली |
| 2 कन्यादेवी पुत्री चिमनाराम | | 2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बाली |
| 3 स्व0 शंकरलाल पुत्र चिमनाराम के का0मु0 | | |
| 3.1 कन्यादेवी पत्नी शंकरलाल | | |
| 3.2 लक्ष्मण पुत्र शंकरलाल | | |
| 3.3 भागु पुत्री शंकरलाल | | |
| 3.4 विनोद पुत्र शंकरलाल | | |
| 3.5 संतोष पुत्री शंकरलाल | | |
| 3.6 प्रवीण पुत्र शंकरलाल | | |
| 3.7 महेश पुत्र शंकरलाल जातिगण घांची निवासीगण बिसलपुर तहसील बाली | | |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री भैरूसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 8/2/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2013 बअनवान दीपाराम बनाम शंकरलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर मौजा बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नम्बर 194, 1448, 1452,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1453 व 1454 कुल खसरा 5 जिसका कुल रकबा 6.34 हैक्टेयर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए राजस्व लोक अदालत कैम्प बिसलपुर में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी/रेस्पोडेन्ट को खसरा नम्बर 1453 की भूमि में लालरंग से दर्शित भू भाग जो पूर्वी हिस्से पर था, जिसमें से 1/4 हिस्सा अनुसार 1.5850 हैक्टेयर भूमि का भाग वादी को प्रदान किया तथा शेष सम्पूर्ण सभी खसरा नम्बर की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से रखते हुए सहमति से वाद विभाजन का दिनांक 05.06.2015 को निर्णय पारित किया गया एवं तद्नुसार डिक्री पर्चा बनाया गया। उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भी दायर कर दिया, जो स्वीकृत हो चुका है। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 13.07.2015 को एक रिव्यू प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना किसी सुनवाई के नोटिस जारी किये, एकतरफा रूप से उसी दिन दिनांक 13.07.2015 को बाले बाले राजीनामा की डिक्री को उलटते हुए विवादित निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न तो अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया एवं न ही सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारगण के मध्य राजीनामा हुआ था, जिस पर सभी पक्षकार सहमत थे एवं सहमति के आधार पर ही निर्णय एवं डिक्री पारित की गई थी, जिसकी पालना होने के पश्चात जैर अपील आदेश पारित कर निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया गया, किन्तु उक्त आदेश की पालना में न तो डिक्री परचा जारी किया एवं न ही डिक्री परचा तैयार करने का आदेश पारित किया गया। इसके अतिरिक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई विधिक आधार नही था, जो विधिक त्रुटी या तथ्यात्मक त्रुटी या भूल को दर्शाता हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रावधित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी भूमि के विभाजन का वाद प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प बिसलपुर में पक्षकारान की सहमति के आधार पर डिक्री किया। उक्त आदेश में रास्ते बाबर्त प्रावधान दर्शित नहीं किये गये थे, जो कि आज्ञापक प्रावधानों की त्रुटी थी, जिसे सुधार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। न्यायालय द्वारा की गई त्रुटी को संज्ञान में आने पर किसी भी समय दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी यही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री में जो त्रुटी की गई, उसे दुरूस्त कराने हेतु प्रकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में लाया गया, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि के विभाजन का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प बिसलपुर में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में विभाजन की डिक्री पारित की। इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1, जो अधीनस्थ न्यायालय में वादी था, द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रिव्यू करते हुए रास्ते आदि के प्रावधान रखते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 को संशोधित करने के आदेश पारित किए। विधि अनुसार न्यायालय को यह शक्तियां प्राप्त है कि पारित निर्णय में यदि कोई त्रुटी संज्ञान में आती है, तो उसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विभाजन हेतु जो आज्ञापक प्रावधान वर्णित है, उसमें भूमि के विभाजन के साथ साथ उसमें आवागमन के रास्ते आदि को रेखांकित किया जाना आवश्यक माना गया है, जिससे भविष्य में संभावित विवाद से बचा जा सके। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.06.2015 में मात्र भूमि का विभाजन ही किया गया, उसमें रास्ते बाबत कोई प्रावधान दर्शित नहीं किए, इस कारण तकनीकि त्रुटी को दुरूस्त करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त तथ्य अधीनस्थ के संज्ञान में लाया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये दुरूस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/2013 बअनवान दीपाराम बनाम शंकरलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली